

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 451/रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 4-01-2017

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 2 दिसम्बर, 2016

विषय:- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा कला एवं शिल्प महाविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2016-17 में देय अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1179/एफ0ओ0, दिनांक 17.10.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय छः माह के व्यय हेतु श्री राज्यपाल, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए मानक मद-20 में ₹0 2,42,15,000/- तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कला एवं शिल्प महाविद्यालय हेतु मानक मद-20 में ₹0 7,35,000/- अर्थात् कुल ₹0 2,49,50,000/- (₹0 दो करोड़ उन्चास लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों/पदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075 /70-4-99/46(21)/99 दिनांक: 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन कर्मचारियों/अध्यापकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जी0पी0एफ0 की धनराशि उनके वेतन से काटकर राज्य कोषागार में नियमित रूप से जमा करायी जाय और उसे अन्यत्र जमा नहीं किया जायेगा।

7- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

संजय
K
04/11/17

8- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक: 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग(उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सुसंगत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-04-लखनऊ विश्वविद्यालय-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 20-लखनऊ विश्वविद्यालय को कला एवं शिल्प महाविद्यालय हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय पत्र संख्या-1787/दस-11- 2016, दिनांक 21.12.2016 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या-1631 (1)/सत्तर-4-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. सम्बंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
7. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
उप सचिव